

**न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलूम्वर जिला-सलूम्वर (राज.)**

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बागनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 99/2009 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर-2009/000004

उनवान

1. श्री सुरेन्द्र कुमार पिता छब्बीलाल जी महाजन उम्र बालिग
  2. श्री सुशीला पुत्री छब्बीलाल जी महाजन उम्र बालिग
  3. विमला पुत्र छब्बीलाल जी महाजन उम्र बालिग
  4. श्रीमती मणीदेवी पत्नी छब्बीलाल जी महाजन उम्र बालिग
- सभी जाति जैन निवासी पायरा तहसील सलूम्वर हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्वर (राज.)।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर हाल जिला सलूम्वर (राज.)।

वाद बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती व घोषणा खातेदारी अधिकार

--:निर्णय:--

दिनांक:-22/12/2025



श्री परमानन्द मेहता अधिवक्ता-वादीगण  
श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता-प्रतिवादी

वादीगण के वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज छब्बीलाल व श्रीमती रतनबाई के खाते राजस्व रेकॉर्ड मौजा काजावाडा पटवार मण्डल झल्लारा तहसील सलूम्वर हाल तहसील झल्लारा मे कृषि भूमि दर्ज थी जिसके खातेदार काशतकार मौके पर काबिज वादीगण है जो संवत् 2039 से 2042 मे खाता संख्या 61 आराजी नम्बर 2/4क रकबा 30 बीघा लगानी 6.25 रु. खातेदार रतनबाई बेवा गोवनलाल जी महाजन व खाता संख्या 29 आराजी नम्बर 2/4ख रकबा 35 बीघा 5 बिस्वा लगानी 6.63 रु. खातेदार छब्बीलाल पिता गोवनजी महान के नाम दर्ज थी। उक्त साबिक आराजी नम्बर से बने हाल आराजी नम्बर 539/2.48, 540/0.16, 541/0.20, 558/1.08, 542/0.12, 543/0.48, 544/0.01, 545/0.23, 546/0.19, 547/0.27, 548/0.24, 549/0.04, 550/0.10, 551/0.08, 530/10.19 किता 15 रकबा 16.19 हैक्टेयर बने है। इस प्रकार सेटलमेन्ट-पूर्व कुल भूमि 65 बीघा 5 बिस्वा (लगभग 14.10 हैक्टेयर) वादी के पूर्वजों की खातेदारी में थी। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे 14.08 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खाते दर्ज होनी चाहिये थी जो सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट अधिकारी ने जानबुझकर या गलती से वर्तमान रेकार्ड मे वादीगण के खाते 14.10 हैक्टेयर भूमि दर्ज नही कर 6.00 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज कर दी व 8.10 हैक्टेयर भूमि बिलानाम राजस्थान सरकार के खाते दर्ज कर दी जिसका की उन्हे कोई हक अधिकार नही था। पुराने नम्बरो के बजाय नये नम्बरो मे आराजी नम्बर 538 रकबा 10.19 का है जिसमे से 8.10 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खाते दर्ज होनी चाहिये जो सेटलमेन्ट की गलती से दर्ज हुई है जिस हेतु वादीगण का इन्द्राज दुरुस्ती एवं घोषणा खातेदारी हक का यह वाद पेश है। मौके पर वर्षों पूर्व पूर्वजों के समय से वादीगण का कब्जा काशत बेरोकटोक आज

तक चला आ रहा है मौके पर थुअर लगा रखे है। इस तरह वादीगण के सेटलमेन्ट पूर्व खाते दर्ज भूमि के मुकाबले 8.10 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज हो गई है जिसे वादीगण के खाते दर्ज कराना व वादीगण के नाम घोषित करा खाते दर्ज कराना आवश्यक हो गया है जिस हेतु वादीगण का यह वाद घोषणा खातेदारी हक का पेश है।

वादीगण को प्रथमबार भूमि अपने खाते दर्ज होने की जानकारी दिनांक 10-01-2009 को पटवार मण्डल जाने पर ज्ञात हुई तब वादी ने सारा राजस्व रेकार्ड इक्कठा कर धारा 80 सी.पी.सी. का सूचना पत्र दिनांक 29-01-2009 को रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रतिवादी को प्रेषित किया उस दिन से वाद कारण उत्पन्न हुआ जो प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है।

अतः प्रार्थना की जाती है कि-

क- बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारित फरमावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि दुरस्ती इन्द्राज कर वादीगण के खाते दर्ज करना फरमावे।

ख- कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि आराजी नम्बर 538 रकबा 10.19 हैक्टेयर मेंसे 8.10 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खाते दर्ज घोषित फरमा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना फरमावे।

ग- कि अन्य एवं उचित सहायता जिसे वादीगण न्यायाहित में पाने के हकदार है अन्तर्गत धारा 209 राज.टी. एक्ट में दिलाना फरमावे।

वादीगण का वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को वादपत्र की प्रति के साथ सम्मन सूचित किया गया। प्रतिवादी परोकार सरकार की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता हाजिर आये जिन्होंने जवाब पेश कर अंकित किया कि- वादपत्र की कलम संख्या 1 स्वीकार है, राजस्व रेकार्ड में सेटलमेन्ट पूर्व वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण के पूर्वजो के खाते थी जिससे व राजस्व रेकार्ड से न्यायालय में साबित करावें, वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नम्बरो के बजाय वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वाद में वर्णित आराजी नम्बर बनना राजस्व रेकार्ड से जाहिर है, इसलिए भी स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 2 आंशिक स्वीकार हैं, सेटलमेन्ट पूर्व वादीगण के पूर्वजो के नाम 65 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज करना स्वीकार है, किन्तु वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम 14.10 हैक्टेयर भूमि दर्ज नहीं होकर 6 हैक्टेयर भूमि दर्ज होना स्वीकार है किन्तु वक्त सेटलमेन्ट वादीगण का पुरी भूमि पर कब्जा नही होने की वजह से सेटलमेन्ट अधिकारी ने वर्तमान आराजी नम्बर 538 रकबा 10.19 हैक्टेयर को मौके पर पडत होने के कारण बिलानाम दर्ज की होगी जो सही दर्ज की होगी, वादीगण मौके पर काबिज हैं तो वे अपने दस्तावेजो एवं साक्ष्य से माननीय न्यायालय में साबित करावें, जिसका भार वादीगण पर हैं। भूमि वादीगण के कब्जे में नही होने के कारण तथा मौके पर पडत होने के कारण सेटलमेन्ट के समय भूमि वादीगण के खाते नही हुई हैं, जिसे वादीगण अपने नाम दर्ज कराना चाहते है तो वे माननीय न्यायालय में अपने हक, अधिकारो को साबित करावें। दावा वादी अवधी परे होने से खारिज हो गया है। वादी की कोई भूमि 8.10 हैक्टेयर बिलानाम हो गई है तो वादी राजस्व रेकार्ड से साबित कराकर अपने खाते दर्ज करावे।

किन्तु मौके पर वादी का कब्जा नहीं होने से वादी न्यायालय से कोई सहायता पाने का हकदार नहीं है। अतः दावा वादी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के वादपत्र मे वर्णित तथ्यो एवं प्रतिवादी के जवाब दावे में अंकित तथ्यो के आधार निम्न तनकीयात कामय की गई-

1. आया मौजा काजावाडा की साविक आराजी नम्बर 2/4क रकबा 30 बीघा व 2/4ख रकबा 35 बीघा 5 विस्वा के नवीन आराजीयात वादपत्र के कुछ भूमि खाते नवीन सेटलमेन्ट मे की एवं नवीन आराजी नम्बर 538 रकबा 10.19 हैक्टेयर भूमि विलानाम दर्ज कर दी, जिसमे से 8.10 हैक्टेयर भूमि वादीगण की है जिसे अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है?

-बजिम्मे वादीगण

2. आया मौजा काजावाडा की विलानाम आराजी नम्बर 538 रकबा 10.19 हैक्टेयर मौके पर पडत एवं गैर काविल काश्त भूमि होने से सेटलमेन्ट विभाग ने सही दर्ज की है। तथा कब्जे के अभाव मे यह दावा खारीज योग्य है?

-बजिम्मे प्रतिवादी

3. दादरसी?

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन मे पी.डब्ल्यू 1 सुरेन्द्र पिता छबीलाल महाजन निवासी पायरा एवं पी.डब्ल्यू 2 श्री लक्ष्मणसिंह पिता बलवन्तसिंह राजपुत निवासी सलूम्वर का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे निम्न दस्तावेज पेश किये-प्रदर्श ए1, ए2, ए3- जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065, प्रदर्श ए4- जमाबन्दी सेटलमेन्ट पूर्व खातेदार रतनबाई की संवत् 2039 से 2042, प्रदर्श ए5-छबीलाल के खाते की नकल जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042, प्रदर्श ए6- मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श ए7- नक्शा ट्रेस सेटलमेन्ट पूर्व, प्रदर्श ए8- वर्तमान नक्शा, प्रदर्श ए9-धारा 80 जा.दी. का नोटिस, प्रदर्श ए10-पोस्ट रसीद, प्रदर्श ए11ए- मेरी वादी के पक्ष मे सम्पादित विक्रय पत्र, प्रदर्श ए12ए- मेरे पिताजी के पक्ष मे सम्पादित विक्रय पत्र।

प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नही कराये। प्रकरण मे आदेशिका दिनांक 11-01-2023 को कमिश्नरी रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार झल्लारा के पत्रांक राजस्व/2025/309 दिनांक 09-06-2025 द्वारा रिपोर्ट पेश कर स्पष्ट रूप से अंकित किया कि साविक आराजी नम्बर 2 मी 1 मीन हाल आराजी नम्बर 538 रकबा 10.19 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में विलानाम सरकार दर्ज हैं। आराजी नम्बर 538 रकबा 10.19 हैक्टेयर पर किसी का कब्जा दर्ज नही होकर मौके पर जमीन खुली पडी हुई है। तथा कमिश्नरी रिपोर्ट दिनांक 09-06-2025 की बिन्दु संख्या 5 मे कथन किया है कि मौके पर देखने पर पाया गया कि पूर्व में भी इस जमीन पर किसी भी व्यक्ति का थूर की बाड पत्थरों से किसी प्रकार का परकोटा बना हुआ नही पाया गया। मौके पर यह पहाड है एवं राजस्व रिकॉर्ड में किस्म मंगरी दर्ज है। आराजी नम्बर 538 में वादी का किसी प्रकार का कब्जा जाहिर नही होता है।

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस मे अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि सेटलमेन्ट-पूर्व कुल भूमि 65 बीघा 5 विस्वा (लगभग 14.10 हैक्टेयर) वादी के पूर्वजों की खातेदारी में थी। परन्तु सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा सिर्फ 6.00 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम दर्ज की गई तथा 8.

10 हैक्टेयर भूमि गलत रूप से बिलानाम राजस्थान सरकार दर्ज कर दी गई। अतः वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि आराजी नम्बर 538 रकबा 10.19 हैक्टेयर में से 8.10 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खाते दर्ज घोषित फरमा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करना फरमावे।

प्रतिवादी ने बहस में अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सेटलमेन्ट के दौरान भूमि पडत व बिना काश्त पाई गई, इसलिए बिलानाम दर्ज करना उचित था। वादी कब्जा सिद्ध नहीं कर सके तो राहत नहीं मिल सकती। कमिश्नरी रिपोर्ट दिनांक 09-06-2025 से भी मौके पर वादीगण का किसी प्रकार का कब्जा नहीं होना जाहिर आया है। सेटलमेन्ट के समय उक्त भूमि मौके पर पडत एवं बिना काश्त पाई जाने के कारण ही उसे बिलानाम दर्ज किया गया। अतः वादीगण पर यह दायित्व था कि वे यह सिद्ध करें कि विवादित भूमि पर सेटलमेन्ट से पूर्व एवं उसके पश्चात उनका वास्तविक, सतत् एवं शांतिपूर्ण कब्जा था। वादीगण ने कोई प्रमाणिक गवाह अथवा गिरदावरी/ फसल विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि वादीगण उक्त भूमि पर काश्त कर रहे थे। कमिश्नरी रिपोर्ट भी वादीगण के पक्ष में नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है-

तनकी नम्बर 1- आया मौजा काजावाडा की साबिक आराजी नम्बर 2/4क रकबा 30 बीघा व 2/4ख रकबा 35 बीघा 5 बिस्वा के नवीन आराजीयात वादपत्र के कुछ भूमि खाते नवीन सेटलमेन्ट में की एवं नवीन आराजी नम्बर 538 रकबा 10.19 हैक्टेयर भूमि बिलानाम दर्ज कर दी, जिसमें से 8.10 हैक्टेयर भूमि वादीगण की है जिसे अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा यह दावा किया गया है कि सेटलमेन्ट-पूर्व राजस्व अभिलेखों में उनकी कुल 65 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज थी, जो वर्तमान में 14.10 हैक्टेयर बनती है, तथा सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा भूलवश उक्त भूमि में से 8.10 हैक्टेयर भूमि बिलानाम राजस्थान सरकार दर्ज कर दी गई, जबकि उस भूमि पर आज तक वादीगण का निरन्तर एवं बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है। सेटलमेन्ट-पूर्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि वादी के पूर्वजों के नाम 65 बीघा 5 बिस्वा भूमि थी। यह तथ्य प्रतिवादी राज्य द्वारा भी स्वीकार किया गया है, किन्तु यह विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि सेटलमेन्ट के समय उक्त भूमि मौके पर पडत एवं बिना काश्त पाई जाने के कारण ही उसे बिलानाम दर्ज किया गया। अतः वादीगण पर यह दायित्व था कि वे यह सिद्ध करें कि विवादित भूमि पर सेटलमेन्ट से पूर्व एवं उसके पश्चात उनका वास्तविक, सतत् कब्जा था। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 09-06-2025 से भी मौके पर वादी के कब्जे की पुष्टि नहीं होती है। वादीगण ने कोई गिरदावरी/फसल विवरण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि वादीगण उक्त भूमि पर काश्त कर रहे थे। पी.डब्ल्यू-1 एवं पी.डब्ल्यू-2 की गवाहियों मौके के वास्तविक कब्जे को प्रमाणित नहीं करतीं वादीगण द्वारा कब्जे के समर्थन में केवल नक्शों एवं पुराने राजस्व अभिलेखों पर निर्भरता की गई है, जबकि दस्तावेजी स्वामित्व और वास्तविक कब्जा दो पृथक तत्व हैं। सिर्फ पुराने रिकॉर्ड कब्जे का प्रमाण नहीं होते। अतः कब्ज के अभाव में तनकी संख्या 1 वादी के प्रतिकूल तय होती है।

तनकी नम्बर 2- आया मौजा काजावाडा की बिलानाम आराजी नम्बर 538 रकबा 10.19 हैक्टेयर मौके पर पडत एवं गैर काबिल काशत भूमि होने से सेटलमेन्ट विभाग ने सही दर्ज की है। तथा कब्जे के अभाव मे यह दावा खारीज योग्य है?

यह तनकी साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा कहा गया कि भूमि मौके पर पडत पाई जाने पर सेटलमेन्ट विभाग ने बिलानाम दर्ज किया। मौके पर वादी का कब्जा नहीं होने से वादी न्यायालय से कोई सहायता पाने का हकदार नहीं है। वादीगण कब्जे को खंडित करने हेतु कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न ला सके। पी.डब्ल्यू-1 एवं पी. डब्ल्यू-2 की गवाहियाँ मौके के वास्तविक कब्जे को प्रमाणित नहीं करतीं वादीगण द्वारा कब्जे के समर्थन में केवल नक्शों एवं पुराने राजस्व अभिलेखों पर निर्भरता की गई है। कमिश्नरी रिपोर्ट दिनांक 09-06-2025 भी वादीगण के दावे का समर्थन नहीं करती है। अतः तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के पक्ष में साबित होती है।


बहस मनन की गई तथा पुरी पत्रावली एवं उसमें पेश दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तनकी संख्या 1 व 2 के विश्लेषण व साक्ष्य के अभाव के आधार पर यह न्यायालय पाता है कि वादीगण का दावा कब्जा सिद्ध न हो पाने के कारण निर्बल व स्वीकारोपरांत भी असिद्ध है। वादीगण विवादित भूमि पर अपने कब्जे को ठोस एवं कानूनी रूप से प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। अतः वादीगण का वाद अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

---आदेश---

अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा कराने खातेदारी हक इन्द्राज दुरस्ती का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय दिनांक 22/12/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर  
सहायक कलेक्टर सलुम्बर  
जिला-सलुम्बर  
जिला सलुम्बर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी, सलूम्वर जिला-सलूम्वर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 99/2009 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर-2009/००००४

उनवान

1. श्री सुरेन्द्र कुमार पिता छब्बीलाल जी महाजन उम्र बालिग
  2. श्री सुशीला पुत्री छब्बीलाल जी महाजन उम्र बालिग
  3. विमला पुत्र छब्बीलाल जी महाजन उम्र बालिग
  4. श्रीमती मणीदेवी पत्नी छब्बीलाल जी महाजन उम्र बालिग
- सभी जाति जैन निवासी पायरा तहसील सलूम्वर हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्वर (राज.)।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर हाल जिला सलूम्वर (राज.)।

वाद बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती व घोषणा खातेदारी अधिकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 भूरा.अ. के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री परमानन्द मेहता एवं प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता की उपस्थिति में इस वाद में न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर दिनांक 22/12/2025 को पारित निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद सव्यय खारिज किया जाता है। वादी को कोई राहत प्रदान नहीं की जाती।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना-अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 22/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर सलूम्वर  
सलूम्वर  
जिला सलूम्वर



वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	-	शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	-
2. शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	-	अर्जी के लिए स्टाम्प	-	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	-	प्लीडर की फीस	-	-
4. रूपये पर लीडर की फीस	-	-	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	आदेशिका की तामील	-	-
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	-	कमिश्नर की फीस	-	-
7. आदेशिका की तामील	-	-		-	-
योग	05	-	योग	01	-

उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर सलूम्वर  
सलूम्वर  
जिला सलूम्वर